संख्या:    /XVIII(II)/2013

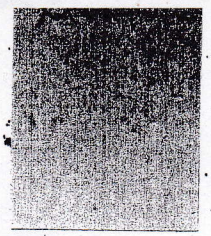

विजय कुमार ढौंडियाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

2. आयुक्त,
गढवाल/कुमाऊ मण्डल,
पौडी/नैनीताल।

3. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक    2013

विषयः– जनहित रिट याचिका संख्या–233/2008 श्रीमती बीना बहुगुणा बनाम राज्य में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 4.07.2013 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जनहित याचिका में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.07.2013 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य में हाल में आई आपदा के दृष्टिगत अब नदी क्षेत्रों में आपदा से संवेदनशील भूमियों पर निर्माण कार्यो के लिये अत्यन्त सावधानी पूर्ण कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में उत्तराखण्ड बाढ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 में Active Flood Zone आदि के चिन्हीकरण की व्यवस्था है। इस अधिनियम के अन्तर्गत विधिवत बाढ क्षेत्रों/आपदा संवेदनशील क्षेत्रों के चिन्हींकरण तक राजस्व अभिलेखों में नदी श्रेणी में दर्ज किसी भी भूमि पर नये निर्माण को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। अतः इस विषय पर निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें–

1. किसी भी प्रकार के निर्माण कार्यो के लिये नदी श्रेणी में दर्ज भूमि को अग्रिम आदेशों तक प्रस्तावित न किया जाय।
2. अग्रिम आदेशों तक नदी श्रेणी में दर्ज किसी भी भूमि पर निर्माण किये जाने की अनुमति न दी जाय।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(विजय कुमार ढौंडियाल)
अपर सचिव।

संख्या–    (1)/XVIII(II)/2013 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि–सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।